SAIL has taken number of steps to improve the performance, which inter-alia include reduction in cost by improving the techno-economic parameters, demand oriented production, improving quality of products, and increasing sales thorugh aggressive and customer oriented marketing, etc.

कार निर्माता कंपनियों के साथ हुआ समझौता

***578. श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार निर्माता कम्पनियों के साथ 1995 में हस्ताक्षरित समझौते में यह तय किया गया था कि वे आगामी तीन वर्ष की अवधि में 50 प्रतिशत कल-पुर्जे का निर्माण भारत में ही करेंगे;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कार कम्पनियों द्वारा पूर्व हस्ताक्षरित समझौते का पालन नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते का उल्लघंन करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और भविष्य के लिए कौन-कौन से नए समझौते किए गए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) से (घ) सरकार ने 26.6.95 को यह निर्णय लिया था कि उन विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनियों को, जिन्होंने यात्री कारों के लिए उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमति प्राप्त की है, डी जी एफ टी के साथ समझौता ज्ञापन को निष्पादित करना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अपने अनुमानित स्वदेशीकरण योजनाओं को विनिर्दिष्ट किया जाए। छ: संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कंपनियों ने 1995 में सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे जिनमें अपनी स्वदेशीकरण योजनाओं के स्वेच्छा पूर्वक अनुमान प्रस्तुत किए गए थे क्योंकि उस समय प्रवृत्त समझौता ज्ञापन नीति में 50 प्रतिशत स्वदेशीकरण निर्धारित नहीं किया गया था। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ऐसी कंपनियों को सी के डी/एस के डी किटों का आयात करने के लिए पहला लाइसेंस दिया जाना था और प्रथम वर्ष के बाद उत्तरवर्ती लाइसेंस अपने स्वयं के अनुमानों के बारे में इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गयी प्रगति के आधार पर जारी किए जाने थे। इन कंपनियों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट हुआ कि कुल मिलाकर इन कंपनियों द्वारा स्वदेशीकरण संबंधी अनुमानों को पूरा किया गया था। तथापि, चूंकि पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन नीति में कोई न्यूनतम प्रवर्तनीय प्रतिबद्धता निर्धारित नहीं की गयी थी और ऑटोमोबाइल्स कंपनियों द्वारा अपनी स्वदेशीकरण योजनाओं के बारे में स्वैच्छिक अनुमान प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, इसलिए समझौता ज्ञापन नीति की घोषणा 12.12.97 की सार्वजनिक सूचना सं. 60 में की गई थी। इसमें सभी संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कंपनियों के लिए सी के डी/एस के डी किटों/संघटकों की प्रथम आयात खेप की स्वीकृति की तारीख से 3 वर्ष में 50 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर तक और पांचवें वर्ष में अथवा इससे पहले 70 प्रतिशत तक संघटकों का स्वदेशीकरण निर्धारित किया गया। जिन कंपनियों ने 1995 की योजना और 1997 की योजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं वे निम्नानुसार हैं:—

नाम	समझौता ज्ञापन की तारीख
डी सी एम डेबू मोटर्स लि., नई दिल्ली	14.7.95
कल्याण मोटर्स कं. लि., थाने	28.7.95
मर्सीडिज बेन्ज इंडिया प्रा॰ लि., पुणे	7.9.95
प्रीमियर ऑटोमोबाइल लि., बम्बई	27.9.95
जनरल मोटर्स इंडिया लि. हलोल; गुजरात	23.1.96
महिन्द्रा फोर्ड इंडिया लि., बम्बई	30.4.96
होन्डा सीयल कार इंडिया लि., दिल्ली	27.4.98
इंड ऑटो लि., बम्बई	10.7.98

महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम मजूरी दिया जाना

*579. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मंजूरी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कारगर कदम उठाने जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में उसी तरह के कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को समान पारिश्रमिक की अदायगी की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार या रेलवे प्रशासन के

प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन या बैंकिंग कम्पनी, खान, तेल क्षेत्र या मुख्य पत्तन के संबंध में या किसी निगम के संबंध में, जिसे केन्द्रीय सरकार के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो, किसी नियोजन के संबंध में समुचित सरकार है। इन क्षेत्रों में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन की जिम्मेदारी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को सौंपी गई है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र के भीतर आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

राज्य क्षेत्र में अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में, छह राज्य सरकारों ने महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महिला सेलों की स्थापना की है।

केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गई है जिसमें नियोक्ताओं और कर्मकारों, संसद सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। सलाहकार समिति सरकार को इस संबंध में सलाह देने के लिए समय-समय पर बैठकें करती है कि महिलाओं को किस हद तक नियोजित किया जाए, कार्य घंटे क्या हों, रोजगार में महिलाओं का स्थायित्व क्या हो, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता और अंशकालिक रोजगार आदि। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए 21 राज्य सरकारों द्वारा भी इसी तरह के निकायों का गठन किया गया है।

विवरण

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की स्थिति (संख्या में)

	निरीक्षण	पाए गए उल्लंघन	ठीक किए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन	सिद्ध दोष	छोड़ दिए गए
केन्द्रीय						
1995*	4367	4359	4229	1054	748	8
1996*	4468	4373	4702	927	741	39
1997*	4195	4722	4187	1110	586	35

*आंकड़े अनंतिम हैं।

Welfare of street Children in Gujarat

*580. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government are implementing any scheme for the welfare of the street children in the State of Gujarat;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what assistance is being extended by the State Government in the Implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Ministry is supporting 3 Non-Governmental Organisations at Ahmedabad and 2 Non Governmental Organisations at Baroda in the State of Gujarat under the Scheme of Welfare of Street Children.

(c) Under the Scheme, 90% of the Project cost is met by the Government of India and the remaining 10% by the concerned Non-Governmental Organisation and as such no financial assistance is provided by the State Government.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Workers of Coal India Limited

4282. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) how many workers job was terminated due to superannuation in the year 1996 and 1997 in Coal Producing Company of Coal India Limited;